विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903

(1903 का अधिनियम संख्यांक 10)

[20 मार्च, 1903]

कलकत्ता में विक्टोरिया स्मारक के निर्माण तथा प्रबन्ध के उपबन्ध के लिए अधिनियम

ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैण्ड के यूनाइटेड किंगडम की रानी, भारत की महारानी स्वर्गीय हर मजेस्टी विक्टोरिया के जीवन तथा शासन के स्मारक के रूप में कलकत्ता में एक भवन के निर्माण करने का विचार है तथा इस प्रयोजन के लिए भारत के राजाओं तथा लोगों ने बड़ी मात्रा में धनराशियों का अभिदान किया है ;

और कलकत्ते में हुई अभिदाताओं की बैठक में कतिपय व्यक्तियों को अनंतिम कार्यपालिका समिति के रूप में उक्त धन की अभिरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था ;

और स्मारक के निर्माण, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध के लिए तथा न्यासियों के स्थायी निकाय की नियुक्ति के लिए उपबन्ध करना समीचीन है ;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903 है [1]***

[1]* * * * *

2. न्यासी—[2][(1) विक्टोरिया स्मारक के न्यासी (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् न्यासी कहा गया है) निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल, पदेन अध्यक्ष ;

(ख) पश्चिमी बंगाल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, पदेन ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन व्यक्ति जिनमें से एक पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार के परामर्श से चुना गया वाणिज्य और उद्योग का प्रतिनिधि होगा और अन्य दो व्यक्तियों में से चुने गए व्यक्ति होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार की राय में, विक्टोरिया स्मारक के प्रदर्शों की विशेषज्ञीय जानकारी है या तो संग्रहालयकार, इतिहासकार या कला-इतिहासकार हैं ;

(घ) केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि, पदेन, जो विक्टोरिया स्मारक से सम्बन्धित विषयों से सम्बद्ध मंत्रालय का हो ;

(ङ) केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि, पदेन, जो विक्टोरिया स्मारक से सम्बन्धित विषयों से सम्बद्ध वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का हो ;

(च) कलकत्ता नगर निगम का महापौर और जब कलकत्ता नगर निगम अतिष्ठित हो तब उस निगम का प्रशासक, पदेन ;

(छ) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नामनिर्देशित एक अधिकारी जो महालेखाकार की पंक्ति से नीचे का न हो, पदेन ;

(ज) पश्चिमी बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग का सचिव, पदेन ;

(झ) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से न्यासियों द्वारा उन व्यक्तियों में से नामनिर्देशित किए जाने वाले ऐसे चार व्यक्ति (जिनमें से कम से कम एक अभिदाताओं के साधारण निकाय में से होगा) जिन्हें न्यासियों की राय में, विक्टोरिया स्मारक के प्रदेशों की विशेषज्ञीय जानकारी है या जो संग्रहालयकार, इतिहासकार या कला-इतिहासकार है ।]

(2) "विक्टोरिया स्मारक के न्यासी" के नाम से शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला न्यासियों का एक निगमित निकाय होगा और उस नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा और उसे सम्पत्ति का अर्जन करने तथा उसे धारण करने, संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक तथा उनसे सुसंगत सभी कार्य करने की शक्ति होगी ।

---

[1] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा "और" शब्द तथा उपधारा (2) निरसित ।

[2] 1981 के अधिनियम सं० 32 की धारा 2 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(3) न्यासियों की बैठक में उपस्थित तथा मत देने वालों के बहुमत से किए गए सभी कार्य तथा जिस पर विनिश्चय की अपेक्षा है ऐसी किसी बात पर न्यासियों को परिचालन द्वारा न्यासियों के बहुमत से प्राप्त विनिश्चय के अनुसरण में किए गए सभी कार्य न्यासियों के कार्य समझे जाएंगे ।]

[2][(3क) यदि उपधारा (1) के खंड (ख), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट न्यासियों में से कोई न्यासी न्यासियों की किसी बैठक में हाजिर होने में असमर्थ है तो वह अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकेगा ।]

(4) न्यासियों का कोई भी कार्य, केवल इस कारण कि न्यासियों के निकाय में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा ।

(5) पदेन न्यासियों की दशा में, उपधारा (1) में वर्णित पदों में से किसी के कर्तव्यों का तत्समय पालन करने वाला व्यक्ति न्यासी के रूप में कार्य करेगा ।

(6) न्यासी अपने सचिव के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं ।

(7) न्यासियों की ओर से धन के संदाय के आदेश पर्याप्त रूप से अधिप्रमाणित समझे जाएंगे यदि वे दो न्यासियों द्वारा हस्ताक्षरित तथा सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों ।

3. न्यासियों में निहित संपत्ति—उक्त अनन्तिम कार्यपालिका समिति की अभिरक्षा में अभी रखी हुई सभी धनराशियां तथा सभी अन्य संपत्ति, चाहे स्थावर हो या जंगम, जो दी गई है या इसके पश्चात् दी जाए, या जिसकी उक्त स्मारक के प्रयोजनों के लिए वसीयत की जाए या जो अन्यथा अंतरित की जाएं या न्यासियों द्वारा उक्त प्रयोजनों के लिए अर्जित की जाएं, न्यासियों में निहित होंगी ।

4. अधिकारी तथा सेवकों का लोकसेवक होना—न्यासियों द्वारा नियोजित सभी अधिकारी तथा सेवक भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थ मे लोक सेवक समझे जाएंगे :

परन्तु यह धारा न्यासियों द्वारा नियोजित किसी ठेकेदार की सेवा के व्यक्तियों को लागू नहीं होगी ।

5. नियम—(1) केन्द्रीय सरकार [3][राजपत्र में अधिसूचना द्वारा] इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किए जा सकते हैं :—

(क) वह रीति जिसमें पदेन न्यासियों से भिन्न न्यासियों की नियुक्ति की जाएगी और वे कालावधियां जब तक ऐसे न्यासी पद धारण करेंगे ;

(ख) वह रीति जिसमें न्यासियों की बैठकें बुलाई जाएंगी, कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति तथा ऐसी बैठकों की प्रक्रिया ;

[4][(खख) वह रीति जिसमें उस विषय पर जिस पर विनिश्चय अपेक्षित है परिचालन द्वारा न्यासियों के बहुमत के आधार पर विनिश्चय प्राप्त किया जाएगा ;]

(ग) न्यासी समितियों की नियुक्ति तथा व्यय और नियंत्रण की शक्तियां, जो उन्हें प्रत्यायोजित की जा सकती हैं ;

(घ) स्मारक का निर्माण, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध, उसमें निक्षेप की गई वस्तुओं की देखभाल तथा अभिरक्षा तथा वे शर्तें जिन पर जनसाधारण की उन वस्तुओं तक पहुंच होगी ;

[2][(घक) विक्टोरिया स्मारक में प्रवेश के लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीस ;]

(ङ) न्यासियों द्वारा रखे जाने वाले लेखाओं के प्ररूप तथा उनकी लेखापरीक्षा और प्रकाशन ; [5]***

[5]* * * * *

[3][(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान

---

[1] 1943 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1981 के अधिनियम सं० 32 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[3] 1981 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 1943 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[5] 1981 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा "और" शब्द और खण्ड (च) का लोप किया गया ।

के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[1][**6. न्यासियों की विनियम बनाने की शक्ति**—(1) न्यासी, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन निकाय को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए, ऐसे विनियम बना सकेंगे जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों ।

(2) विशिष्टया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अधीन रहते हुए न्यासियों में निहित वस्तुओं और चीजों को उधार दिया जा सकेगा ;

(ख) विक्टोरिया स्मारक के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें ।

(3) प्रत्येक विनियम, न्यासियों द्वारा बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा और वह सरकार उसकी एक प्रति, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

———

[1] 1981 के अधिनियम सं० 32 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।